दां.प्रकी.(जमा.) 4091/2004

06.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री डी.एस.ठिंड,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में सहअभियुक्त हिम्मतसिंह एवं महेन्द्र सिंह की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली गई हे। मृतक केहर सिंह की मृत्यु सिर पर आई चोट की वजह से होना पाई गई है। ये चोट सुखदेव कौर उर्फ सुखी द्वारा मारना बताई गई है। उस समय यह इस अभियुक्त को मृतक ने नीचे गिरा दिया था और ये गिरी हुई स्थिति में ही था। इसके द्वारा चोट कारित नहीं की गई है। उन्होंने चश्मदीद गवाहों के बयानो की ओर ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि इस अभियुक्त ओर सहअभियुक्त की इतिला पर लाश की बरामदगी की गई है और वारदात के समय भी इसकी उपस्थिति बताई पाई जाती है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। मृतक केहरसिंह की मृत्यु सिर पर आई

चोट से होना पाई जाती है। यह चोट इस अभियुक्त द्वारा नहीं पहुंचाई गई है। सहअभियुक्तगण हिम्मतसिंह व महेन्द्रसिंह की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी भजनसिंह पुत्र बलवन्त सिंह योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा